न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 06/18 **सन् 2018**

आरसीएमएस संख्या 2017/00218

बउनवानी:–

1. विजयराम पुत्र देवीराम मीना आयु 35 वर्ष निवासी खेडा तह.बौंली जिला सवाईमाधोपुर
2. कजोड पुत्र देवीराम मीना आयु 30 वर्ष निवासी खेडा तह.बौंली जिला सवाईमाधोपुर
3. परस राम पुत्र देवीराम मीना आयु 35 वर्ष निवासी खेडा तह.बौंली जिला सवाईमाधोपुर
4. महावीर पुत्र देवीराम मीना आयु 35 वर्ष निवासी खेडा तह.बौंली जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. भौरी देवी पुत्री स्व. श्री गोपाल पत्नि प्रहलाद मीना नि.भैडोली तह.बौंली जिला सवाईमाधोपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार बौंली
3. श्रीमति पांची देवी पत्नि श्री नेनू मीना निवासी खेडा, तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बौंली द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 216 निर्णय दिनांक 19.2.2018 वाके ग्राम खेडा तहसील बौंली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री आबिद अली — वकील अपीलान्ट
2. श्री विक्रान्त गोत्तम — वकील रेस्पो. संख्या 1
3. श्री विनोद अग्रवाल — वकील रेस्पो.संख्या 3

–: निर्णय :– **दिनांक 9-12-2019**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार बौंली द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 216 निर्णय दिनांक 19.2.2018 वाके ग्राम खेडा तहसील बौंली के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि अदालत मातेहत ने बगैर किसी जॉच व तहकीकत के कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरह से नजर अन्दाज कर आलोच्य आदेश एकतरफा पारित कर अपीलान्ट के मूलभूत अधिकारों का हनन किया है इसलिए यह नामा0 निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि विवादित नामा0 का सीधा सम्बन्ध वसीयत है ओर पक्षकारान के मध्य इस विवादग्रस्त भूमि से संबंधित वाद एस.डी.ओ बौंली के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88/188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के अन्तर्गत उनवानी विजराम वगै. बनाम भौरी देवी एवं तहसीलदार के उनवान से दिनांक 27.11.2017 से जैरकार है जिसमे अभी तक किसी भी प्रकार का कोई निर्णय पारित नही हुआ है और गुप्त रूप से तहसीलदार ने बगैर किसी नोटिस हरखास व आम जारी कर तथा अपीलान्ट को बगैर सुनवायी किये यह नामा0 तस्दीक कर दिया जो सरासर गैर कानूनी है। यह तर्क भी दिया कि भौरी देवी जो स्व0 गोपाल पुत्र कल्याण मीना निवासी ग्राम खेडा की पुत्री है जो अपीलान्ट एक लगायत चार के पिता के बडे भाई ताउजी से संबंधित है तथा अपीलान्ट के ताउजी गोपाल पुत्र कल्याण ने अपने जीवनकाल में अपीलान्ट संख्या 1 विजयराम को समाज के समक्ष मीना समाज के रिति रिवाज के अुनसार पंच पटेलो के समक्ष गोद लेने की कार्यवाही हुई एवं दिनांक 2.2.1998 को स्वर्गीय गोपाल ने नेनूराम गुर्जर खेडा हजारी लाल मीना,गोपाल मना, केलाशचन्द गुर्जर, रामगोपाल वगै. के समक्ष अपीलान्ट के पिता के हक मे दिनांक 2.2.1998 को नेनूराम गुर्जर नि. खेडा के द्वारा तहरीर वसीयत लिखी थी जिसके अनुसार अपीलान्ट के पिता स्व0 गोपाल की छोडी हुई चल व अचल सम्पत्ति का एक मात्र वारिस बन गया है, एवं उसके पिता की छोडी हुई सम्पत्ति पर अपीलान्ट के पिता काबिज चले आ रहे थे। अपीलान्ट के पिता देवीराम का देहान्त दिनांक 19.2.2012 को होने के बाद अपीलान्ट उस पर काबिज चले आ रहे है। यह तर्क भी दिया कि दोनो पक्षों के मध्य विरासत को लेकर एक दीवानी वाद नोईयत का मामला विचाराधीन है ओर उसको तय किये जाने के लिये सक्षम दीवानी न्यायालय मे ही फैसला किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय इस प्रकार की प्रक्रिया के लिये किसी भी प्रकार से सक्षम नही है। क्योकि विचाराधीन मामले मे गोदनामा जैसे तथ्य वगैर साक्ष्य के तय नही किये जा सकते

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

है तथा यही कारण है कि मृत्यु के इतने लम्बे समय के बाद अर्थात दिनांक 16.2.1998 से दिनांक 22.1.2018 के बीच लगभग बीस वर्ष के पश्चात विरासत का अचानक बगैर किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री व आदेश के तहसीलदार द्वारा कार्यवाही किया जाना स्वतः ही एक गैर कानूनी प्रक्रिया है जो निरस्तीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश जैर अपील निरस्त किया जाकर मुताबिक वसीयत दिनांक 2.2.1998 एवं गोद नशीनी अपीलान्ट के पिता की सम्पत्ति करार पाते हुए भूमि का अमल दरामद अपीलान्ट के नाम खोला जावे।

विद्वान रेस्पो. द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है क्योकि अपीलान्ट भौरी देवी मृतक गोपाल की एक मात्र जायन्दा पुत्री है उसके अलावा मृतक गोपाल के ओर कोई जीवित संतान नही है। जहॉ तक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पंचनामे का प्रश्न है तो उसके संबंध में अपीलान्ट को कोई जानकारी नही है तथा उक्त पंचनामा/ वसीयतनामा पंजीबद्व नही है ओर केवल मात्र किसी न्यायालय की डिक्री या पंजीकृत गोदपत्र अथवा वसीयत के आधार पर ही किसी खातेदार के खातेदारी अधिकार स्थानान्तरित किये जा सकते है। अपीलान्टगण द्वारा उक्त गोदपत्र एवं वसीयतनामा जिसका वकील अपीलान्ट द्वारा जिक्र किया गया है केवल मात्र अपीलान्ट के पिता की सम्पत्ति को नाजायज तरीके से हडपने के लिए फर्जी तरीके से तैयार किये गये है। चूंकि रेस्पो. संख्या 1 मृतक गोपाल की एक मात्र विधिक वारिस है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुझ रेस्पो. के पक्ष में दर्ज फैसल विवादित नामा0 मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है जिसको यथावत रखा जावे। यह तर्क भी दिया मुझ रेस्पो. को रूपयों की आवश्यकता होने के कारण उक्त विवादित नामा. से संबंधित आराजीयात का मेरे द्वारा दिनांक 28.2.2018 को श्रीमति पांची को विक्रय कर दिया गया है। वकील रेस्पो. संख्या 3 द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित नामा0 संख्या 216 से संबंधित आराजीया को रेस्पो. संख्या 3 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.2.2018 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 22 पृष्ठ संख्या 91 क्रम संख्या 201803494100145 से क्रय किया गया है ओर वर्तमान में रेस्पो. संख्या 3 का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है। अतः अपीलान्ट अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो.संख्या 3 द्वारा निवेदन किया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात से भौरी देवी के पक्ष में दर्ज किया गया उक्त विवादित नामा0 किस प्रकार से गलत है कि पुष्टि नही होती है क्योकि वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में किसी प्रकार का पंजीकृत गोदपत्र अथवा वसीयतनामा न्यायालय मे प्रस्तुत नही किया गया है केवल मात्र पत्रावली पर उपलब्ध पंचनामा जो कि पंजीबद्व नही है के आधार पर मृतक गोपाल की सम्मत्ति को अपने नाम करवाने का अधिकार अपीलान्टगण को प्राप्त नही है, इसके अतिरिक्त अपील मीमो में भी भौरी देवी को अपीलान्टगण द्वारा मृतक गोपाल की पुत्री माना गया है जिसके आधार पर वकील रेस्पो. के इस कथन की पुष्टि भलिभांति हो जाती है कि रेस्पो. संख्या 1 भौरी देवी मृतक गोपाल की एक मात्र वारिस है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील से मृतक गोपाल की विरासत का नामा0 उसकी विधिक वारिस रेस्पो. संख्या 1 के नाम दर्ज फैसल किया गया है जिसमे किसी प्रकार विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त संबंध में सिविल न्यायालय मे पक्षकारान के मध्य सिविल वाद एवं उपजिला कलेक्टर न्यायालय मे वाद विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 9.12.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.30 16:31:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: